(50)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## समक्ष एम.के. सिंह

## सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 755–I/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.02.2016 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 1405/दो/2006 निगरानी

1– सुल्तान सिंह पुत्र श्री भोगीराम
2– लाखन सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह
निवासीगण – ग्राम खडिया हार तहसील अम्बाह जिला – मुरैना (म.प्र.)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन
2– महिला सियाबाई पुत्री बाबू सिंह पत्नी हरि सिंह
निवासी–ग्राम लवोगी तहसील बाडी जिला – धौलपुर (राजस्थान)
3– महिला राजोबाई पुत्री बाबू सिंह पत्नी धर्म सिंह
निवासी – ग्राम दौनारी तहसील सेवढ़ा जिला – दतिया (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री सुनील जादौन अभिभाषक आवेदक
श्री वी.एन. त्यागी, सूची अभिभाषक

## आदेश

(आज दिनांक .4../03/2016)

यह पुर्नविलोकन आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 1405/दो/2006 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 57 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम खडियाहार स्थित भूमि सर्वे नं. 709 रकबा 0.637 है0 भूमि के मालिक उनके बाबा हरनारायण थे। उसके बाद उनके पिता मालिक रहे एवं अब वह काश्त

कर रहे है किन्तु मौजा पटवारी ने बिना किसी आदेश के खसरा के पक्का कृषक कॉलम से नाम हटा दिया है। इसलिये उसे भूमि स्वामी घोषित किया जाये अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने प्रकरण क्रमांक 5/67–68/अ–57 दर्ज कर आदेश दिनांक 18.12.1968 से आवेदकगण को भूमि स्वामी घोषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने शिकायत प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 18.12.1968 अभिज्ञान में आने पर उक्त आदेश को पुर्नविलोकन मे लेने की अनुमति कलेक्टर मुरैना से चाही गयी जो प्रकरण क्रमांक 100/97–98/बी–121 दर्ज कर आदेश दिनांक 20.02.1998 से प्रदान की गयी। और आदेश दिनांक 18.12.1968 निरस्त कर दिया गया इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 43/97–98 प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 17.08.1999 से निरस्त कर दी गयी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जो प्रकरण क्रमांक 11/99–2000 पर पंजीबद्व किया जाकर आदेश दिनांक 05.01.2006 से अपील अस्वीकार की गयी इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1405/दो/2006 प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनाक 02.02.2016 से निरस्त कर दी गयी। इस न्यायालय के आदेश के विरूद्व यह पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3– आवेदक द्वारा इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है विवादित भूमि उनके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है जिसपर उनके पूर्वजो के समय से निरन्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष संहिता की धारा 57 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें की गयी जॉच एवं साक्ष्य के आधार पर आदेश दिनांक 18. 12.1968 पारित किया था। जिसके विरूद्व कोई अपील अथवा पुनरीक्षण नहीं किया गया और वह आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया। ऐसी स्थिति में शिकायत के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जा सकती चूंकि इस प्रकरण में शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जाकर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पुर्नविलोकन की अनुमति दी गयी है जो विधिवत् नहीं है क्योंकि उक्त अनुमति दिये जाने से पूर्व आवेदकगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में कलेक्टर जिला मुरैना एवं इसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालयों एवं माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में जो आदेश पारित किये है वह विधिवत् नहीं होने से अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4– अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों एवं इस माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश दिनांक 18.12.1968 को पारित किया था। उसे शिकायत के आधार पर पुर्नविलोकन में लिये जाने की अनुमति हेतु कलेक्टर जिला मुरैना को प्रेषित किया गया था। और कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान कर दी गयी। जबकि पुर्नविलोकन की अनुमति बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना नहीं दी जा सकती **इस संबंध में 2000 आर.एन. 161 उच्च न्या., 2000 आर.एन. 67 उच्च न्या. के न्यायदृष्टातों में अभिमत दिया गया है। कि पुर्नविलोकन के लिये मण्डल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी–दूसरे पक्ष को सूचना सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रदान नहीं की जा सकती।** इस प्रकार कलेक्टर मुरैना द्वारा पुर्नविलोकन की जो अनुमति दी गयी है वह विधिवत् नहीं है। इस वैधानिक तथ्य पर अपीली न्यायालयों एवं इस न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2016 अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2006 एवं कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.1999 विधिवत् एवं उचित नहीं होने से निरस्त किये जाते है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.1968 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर